

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1328 /200/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	पूजा एजुकेशन फाउण्डेशन इंदौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशासकीय महाविद्यालय, इन्दौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०कॉम प्रथम प्लेन, अति०टेक्सप्रोसीजर एण्ड प्रेक्टिस एवं कम्प्यूटर एप्ली०
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, गतवर्ष का परीक्षा परिणाम, गतवर्ष में प्रवेशित छात्रों की संख्या गत वर्ष में लगाई गई शर्तों की पूर्ति दस्तावेज, छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क का विवरण, वेतन भुगतान किए जाने का बैंक विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, रासेयो प्रमाण कोड 28 में प्राचार्य नियुक्ति के दस्तावेज पूर्ण नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	प्राचार्य द्वारा अभिमत दिया गया है, कि महा०अधोसंरक्षणा उपलब्ध नहीं है, कॉलेज कोड 28 में वि०वि० से नियुक्ति नहीं, प्राचार्य की नियुक्ति भी

		नहीं।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0कॉम प्रथम प्लेन, अति0टेक्सप्रोसीजर एण्ड प्रेक्टिस एवं कम्प्यूटर एप्ली0

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

आज्ञासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथास्तु रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पू. क्रमांक-1328/200/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30 / 04 / 2017.

क्रमांक- 1330 / 1049 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अक्षासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अक्षासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अक्षासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आक्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	द निवाड एजुकेशन सोसायटी, खण्डवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0पूनम चन्द गुप्त सोकेशनल महा0सिविल लाईन खण्डवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बीएस 0सी0द्वितीय बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलाजी, अति0वि0हार्टीकल्चर बी0एस0सी0तृतीय अति0सीड टेक्नोलॉजी, बी0कॉम तृतीय अति0वि0ऑफिस मैनेजमेंट
5	आदेश क्रमांक - 580/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	संचालित पाठ्यक्रमों में कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियाँ नहीं, धारा 27 की सदस्यों की नवीन सूची अप्राप्त.
6	आदेश दिनांक 10/04/2017	कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति संबंधी विश्वविद्यालय की

	द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	अधिसूचना/अनुमोदन नहीं है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई।
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम बीएस 0सी0द्वितीय बॉटनी,केमिस्ट्री, जूलाजी, अति0वि0हार्टीकल्चर बी0एस0सी0तृतीय अति0सीड टेक्नोलॉजी, बी0कॉम तृतीय अति0वि0ऑफिस मैनेजमेंट
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम — निरंक —

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


असासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम स्थावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1331 / 1049 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 30 / 04 / 2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- /332/292/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अज्ञासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अज्ञासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अज्ञासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आक्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	पटेल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी इन्दौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0मालवा इंस्टी0आफ मैनेजमेंट इन्दौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय गणित,भौतिक,रसायन अति0वि0-इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी बी0बी0ए0-द्वितीय-होटल मैनेजमेंट
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	सम्बद्धता नहीं,संस्था का ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त,आवेदित विषयों में कोड 28 में नियुक्तियों संबंधी वि0वि0 का पत्र नहीं,
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियों संबंधी वि0वि0 का पत्र नहीं,वि0वि0की संबद्धता की प्रति नहीं,आडिट रिपोर्ट अप्राप्त,संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्ति नहीं।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई।

8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी०एससी०-तृतीय गणित, भौतिक, रसायन अति०वि०-इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफारमेशन टेक्नोजॉजी बी०बी०ए०-द्वितीय-होटल मैनेजमेंट
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अज्ञासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम संभवतः रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1333 / 292 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 30 / 04 / 2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको. भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म०प्र०)।
  - 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य मध्य प्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1336/269/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	इंदौर एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी इंदौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	आई0पी0एस0 एकेडमी, राजेन्द्र नगर इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ओ0वी0सी0(एफटी)-प्रथम बी0बी0ए0-एल0एल0बी0-प्रथम बी0ए0-आनर्स-अर्थशास्त्र, बी0बी0ए0-एच0ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	एम0एस0डब्लू उतराद्ध
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज नियमानुसार नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियों का वि0वि0 का पत्र नहीं, आवेदिक संस्था ने विषयवार नियोजन की सूची अप्राप्त।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में वि0वि0 का नियुक्ति पत्र नहीं, केवल समिति क अनुशांसा प्रस्तुत है।

8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक —
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ओ०बी०सी०(एफटी)-प्रथम बी०बी०ए०-एल०एल०बी०-प्रथम बी०ए०-आनर्स-अर्थशास्त्र, बी०बी०ए०-एच०ए०, एम०एस०डब्लू उत्तरार्द्ध

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1337/269/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1338 /108/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1.	समिति का नाम	एण्डो एजुकेशन एण्ड सर्विसेस सोसायटी समिति ग्राम गडवाडा, जिला-झाबुआ
2.	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	आई०पी०एस०एकेडमी, झाबुआ
3.	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०कॉम -प्लेन अति०वि०-कम्प्यूटर एप्ली०सहित 2-बी०काम०-ऑनर्स 3-बी०एससी०-(गणित,भौतिक,रसायन) अति०वि०-कम्प्यूटर साइंस 4-बी०सी०ए 5-बी०बी०ए०
4.	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	----
5.	आदेश क्रमांक - 584/378/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण	शैक्षणिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन संबंधी प्रमाण पत्र नहीं, नगर एवं ग्राम निवेश से स्कूल निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं भवन निर्माण

	अमान्य करने का कारण	की अनुमति संरंपच के ठहराव प्रस्ताव के साथ नहीं, खेल मैदान का स्पष्ट प्रमाण नहीं।	
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था द्वारा पूर्वनुसार ही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। कार्यालयीन आदेश दिनांक 15.03.17 के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं की गई है।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1-बी0कॉम -प्लेन अति0वि0-कम्प्यूटर एप्ली0सहित 2-बी0काम0-ऑनर्स 3-बी0एससी0-(गणित,भौतिक,रसायन) अति0वि0-कम्प्यूटर साइंस 4-बी0सी0ए 5-बी0बी0ए0
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—

4 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है, कि संस्था द्वारा कालेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियों अनिवार्य रूप से कर ली जाय।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अज्ञासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- /339/108/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 36/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्य प्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1310/108/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री प्रज्ञान शिक्षा समिति, गडलेश्वर रोड, कसरवावद
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0प्रज्ञान स्कालर्स एकेडमी कॉलेज, कसरवावद जिला खरगोन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	निरंक
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एस0सी-द्वितीय-(काटनी, केमिस्ट्री, जूलाजी) अति0वि0-कम्प्यूटर साइंस, मेथोभेटिक्स, फिजिक्स 2-बी0काम0प्लेन/अति0वि0-कम्प्यूटर एप्ली0-द्वितीय
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची, कोड-28 में नियुक्तों के दस्तावेज अप्राप्त निर्धारित समयसीमा के पश्चात् जमा शुल्क रुपये 40,000/- मान्य योग्य नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड-28 में नियुक्तों का वि0वि0का पत्र नहीं।

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में वि0वि0 का नियुक्ति पत्र (अधिसूचना) नहीं।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		- निरंक -
		1-बी0एस0सी-द्वितीय--(काटनी,केभिरस्ट्री,जूलाजी) अति0वि0-कम्प्यूटर साइंस,मैथोमेटिक्स,फिजिक्स 2-बी0काम0प्लेन / अति0वि0-कम्प्यूटर एप्ली0-द्वितीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पू. क्रमांक- 1341/108/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,इन्दौर संभाग,इन्दौर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004  
--: आदेश :-**

भोपाल, दिनांक- 20/04/2017.

क्रमांक- 1343 / 547 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	इन्डो फ़ंड्स एजु0 ट्रस्ट इंदौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज आफ प्रोफेशनल साइंसेस इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	निरंक
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0--द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित विषयों में कोड-28 में नियुक्तियों संबंधी वि0वि0का पत्र नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड-28 में नियुक्तियों का वि0वि0का पत्र नहीं, वेतन बैंक से भुगतान किये जाने का प्रमाण।

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में वि0वि0 का नियुक्ति पत्र नहीं, वेतन बैंक से भुगतान किये जाने का प्रमाण नहीं।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0एससी0-द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियमों यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1244/547/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.